LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Friday, December 06, 2024 / Agrahayana 15, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, December 06, 2024 / Agrahayana 15, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

… 1

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS 2 – 50
(S.Q. NO. 161 – 180)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS 51 – 280
(U.S.Q. NO. 1841 – 2070)

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Friday, December 6, 2024 / Agrahayana 15, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, December 6, 2024 / Agrahayana 15, 1946 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 281

PAPERS LAID ON THE TABLE 281 - 89

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 289

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES 290

1st and 2nd Reports

STANDING COMMITTEE ON FINANCE 290

1st and 7th Reports

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS / OBSERVATIONS IN 139TH AND 147TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE – LAID 291

Shri Prataprao Jadhav

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 15TH, 20TH AND 22ND REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS – LAID 291

Shri Kirti Vardhan Singh

BUSINESS OF THE HOUSE 292

ELECTION TO COMMITTEE 293

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at Bhubaneswar, Bilaspur, Mangalagiri, Bibinagar, Patna, Madurai, Rishikesh, Deoghar and Guwahati

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID **294 - 301**

Shri Janardan Mishra **294**

Shrimati Shobhanaben Mahendrasinh Baraiya **294**

Shri Ganesh Singh **294**

Shrimati Manju Sharma **295**

Shri Jagdambika Pal **295**

Dr. Manna Lal Rawat **296**

Shri Manish Jaiswal **296**

Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo **297**

Shri Rodmal Nagar **297**

Sushri S. Jothimani **298**

Dr. M. K. Vishnu Prasad **298**

Shri K.C. Venugopal **299**

Shri Murari Lal Meena **299**

Shri Dharmendra Yadav **300**

Shri C.N. Annadurai **300**

Shri Arvind Ganpat Sawant **301**

Shri Joyanta Basumatary **301**

Shri Umeshbhai Babubhai Patel **301**

MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE **302**

xxx

(1100/PC/SMN)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न काल है। क्या आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, you were the witness to what had happened yesterday. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सदन मर्यादा से चलेगा, गरिमा से चलेगा, उच्च कोटि की परंपराओं से चलेगा।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): All the MPs from this side need justice. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं सदन के अंदर न गरिमा गिरने दूंगा, न ही सदन की मर्यादा कम होने दूंगा।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): We all need a ruling from you, Sir. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप प्रश्न काल में सहयोग करें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1101 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/IND/SM)

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए)

…(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आइटम नम्बर – 2.

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the State Legal Services Authority Union Territory, Chandigarh, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the State Legal Services Authority, Union Territory, Chandigarh, for the year 2023-2024.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Law Institute, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Law Institute, New Delhi, for the year 2023-2024.

(3) A copy each of the following Reports (Hindi and English versions) of the Law Commission of India:-

(i) Report No. 278 – Urgent Need to Amend Rule 14(4) of Order VII of the Code of Civil Procedure, 1908.

(ii) Report No. 279 – Usage of the Law of Sedition.

(iii) Report No. 280 – The Law on Adverse Possession.

(iv) Report No. 281 – Compensation for Damage due to Installation of Towers and Transmission Lines under the Indian Telegraph Act, 1885 and the Electricity Act, 2003.

(v) Report No. 282 – Amendment in Section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 for enabling online registration of FIR.

(vi) Report No. 283 – Age of consent under the protection of children from Sexual Offences Act, 2012.

(vii) Report No. 284 – Revisiting the law on prevention of damage to public property.

(viii) Report No. 285 – The Law on criminal defamation.

(ix) Report No. 286 – A Comprehensive review of the Epidemic Diseases Act, 1897.

(x) Report No. 287 – Law on Matrimonial Issues relating to Non-Resident Indians and Overseas Citizens of India.

(xi) Report No. 289 – Trade secrets and economic espionage.

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) फूड सेफ्टी एंड स्टेण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फूड सेफ्टी एंड स्टेण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त मद संख्या (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विष और अवशेष) पहला संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 01-एसपी(पीएआर)-अधिसूचना-कीटनाशक/मानक-एफएसएसएआई /2017 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) पहला संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आरईजी-11027/2/2022 विनियम-एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

(6) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (आयुर्वेदिक औषधि और शल्यचिकित्सा में स्नातक हेतु पूर्व-आयुर्वेद-कार्यक्रम) विनियम, 2024 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. बीओए/3-बी/पीएपी/2024 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा के लिए न्यूनतम मानक तथा स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2024 जो दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. बीयूएसएस/यूनानी पीजी विनि./2023 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा के लिए न्यूनतम मानक तथा स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2024 जो दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. बीयूएसएस/सिद्ध पीजी विनि./2023 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा के लिए न्यूनतम मानक तथा स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2024 जो दिनांक 4 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. बीओए/2-आई/2024 में प्रकाशित हुए थे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Guwahati, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Guwahati, for the year 2023-2024.

(2) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Raebareli, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Raebareli, for the year 2023-2024.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the New Delhi Tuberculosis Centre, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the New Delhi Tuberculosis Centre, New Delhi, for the year 2022-2023.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Institute for Population Sciences, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Institute for Population Sciences, Mumbai, for the year 2022-2023.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940:-

(i) The Drugs (…. Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.922(E) in Gazette of India dated 28th December, 2023 together with a Corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R. 666(E) dated 28th October, 2024.

(ii) The New Drugs and Clinical Trials (Amendment) Rules, 2024, published in Notification No. G.S.R.581(E) in Gazette of India dated 19th September, 2024.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at 7(i) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Cochin Shipyard Limited, Kochi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Cochin Shipyard Limited, Kochi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Hooghly Cochin Shipyard Limited, Hawrah, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Hooghly Cochin Shipyard Limited, Howrah, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Udupi Cochin Shipyard Limited, Kancheepuram, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Udupi Cochin Shipyard Limited, Kancheepuram, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the Kamarajar Port Limited, Chennai, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Kamarajar Port Limited, Chennai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the New Mangalore Port Authority, Mangalore, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the New Mangalore Port Authority, Mangalore, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mangalore Port Authority, Mangalore, for the year 2023-2024.

(3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the V.O. Chidambaranar Port Authority, Tuticorin, for the year 2023-2024 alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the V.O. Chidambaranar Port Authority, Tuticorin, for the year 2023-2024.

(4) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Authority, Mumbai, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mumbai Port Authority, Mumbai, for the year 2023-2024.

(5) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tariff Authority for Major Ports, Mumbai, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Tariff Authority for Major Ports, Mumbai, for the year 2023-2024.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Maritime University, Chennai, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Maritime University, Chennai, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Maritime University, Chennai, for the year 2023-2024.

(7) A copy of the New Mangalore Port Authority (Meetings of Board, its Powers and Transaction of Business) Regulations, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. 11/2/2022/PAC.1 in Gazette of India dated 19th September, 2024 under Section 73 of the Major Port Authorities Act, 2021.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANJAY SETH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Garden Reach Shipyards and Engineers Limited, Kolkata, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Garden Reach Shipyards and Engineers Limited, Kolkata, for the year 2023-2024,

alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Goa Shipyard Limited, Goa, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Goa Shipyard Limited, Goa, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Shipyard Limited, Vishakhapatnam, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Hindustan Shipyard Limited, Vishakhapatnam, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(e) (i) Review by the Government of the working of the Mishra Dhatu Nigam Limited, Hyderabad, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Mishra Dhatu Nigam Limited, Hyderabad, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English Version) of the National Institute of Mountaineering and Adventure Sports, Dirang, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi & English Version) by the Government of the working of the National Institute of Mountaineering and Adventure Sports, Dirang, for the year 2023-2024.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi & English Version) of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, West Bengal, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi & English Version) by the Government of the working of Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, West Bengal, for the year 2023-2024.

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री ठाकुर) : माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक को-ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक को-ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from Secretary General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct and Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 5th December, 2024 agreed without any amendment to the Bharatiya Vayuyan Vidheyak, 2024, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 9th August, 2024."

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
पहला और दूसरा प्रतिवेदन

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): सभापति जी, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) "दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के विशेष संदर्भ में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन" विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 31वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) "आरक्षण नीति के निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी में कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की भूमिका" विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 25वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई- कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

वित्त संबंधी स्थायी समिति
पहला से सातवां प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति जी, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

1. वित मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन और लोक उद्यम विभाग) की अनुदानों की मांगों (2024-25) संबंधी पहला प्रतिवेदन
(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2024-25) संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।
(3) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2024-25) संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।
(4) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2024-25) संबंधी चौथा प्रतिवेदन।
(5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2024-25) संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।
(6) "साइबर सुरक्षा और साइबर व्हाइट कॉलर अपराधों की बढ़ती घटनाएं" विषय के बारे में 59वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की- गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।
(7) "बीमा क्षेत्र की कार्य-निष्पादन समीक्षा एवं विनियमन" विषय के बारे में 66वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई- कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 139वें और 147वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : सभापति जी, मैं 'कैंसर देखभाल योजना और प्रबंधनः रोकथाम, निदान, अनुसंधान और कैंसर उपचार की वहनीयता' विषय पर विभाग से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 139वें और 147 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 15TH, 20TH AND 22ND REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS -- LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): Sir, I beg to lay the following statements regarding:-

(1) the status of implementation of the recommendations contained in the 15th Report of the Standing Committee on External Affairs on 'Welfare of Indian Diaspora: Policies/Schemes' pertaining to the Ministry of External Affairs.

(2) the status of implementation of the recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on External Affairs on 'Demands for Grants (2023-24)'pertaining to the Ministry of External Affairs.

(3) the status of implementation of the recommendations contained in the 22nd Report of the Standing Committee on External Affairs on India's Neighbourhood First Policy' pertaining to the Ministry of External Affairs.

BUSINESS OF THE HOUSE

1204 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing, Monday the 9th December, 2024 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - [it contains: - (i) Further consideration and passing of the Railways (Amendment) Bill, 2024; (ii) Consideration and passing of the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024]

2. Consideration and passing of the following Bills:-

(i) The Carriage of Goods by Sea Bill, 2024;

(ii) The Bills of Lading Bill, 2024;

(iii) The Coastal Shipping Bill, 2024; and

(iv) The Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024

3. Discussion and voting on the First Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2024-25 and introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill.

4. Consideration and passing of the following Bills, *as passed by Rajya Sabha*:-

(i) The Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024; and

(ii) The Boilers Bill, 2024.

5. Consideration and passing of the Merchant Shipping Bill, 2024, *after its introduction.*

(1205/RP/RV)

ELECTION TO COMMITTEE

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhubaneswar, Bilaspur, Mangalagiri, Bibinagar, Patna, Madurai, Rishikesh, Deoghar and Guwahati

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Sir, I beg to move the following:-

> "That in pursuance of Section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Act, 1956 read with Section 6 of the AIIMS (Amendment) Act, 2012, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to each of the Nine All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at Bhubaneswar, Bilaspur, Mangalagiri, Bibinagar, Patna, Madurai, Rishikesh, Deoghar and Guwahati subject to the other provisions of the said Act."

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : प्रश्न यह है :

> "कि एम्स (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के साथ पठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956 की धारा 4 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नौ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) भुवनेश्वर, बिलासपुर, मंगलागिरी, बीबीनगर, पटना, मदुरै, ऋषिकेश, देवघर और गुवाहाटी के लिए अपने में से, प्रत्येक के लिए, दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : निशिकान्त जी, प्लीज़ बैठिए।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please be seated.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, matters raised under Rule 377 are important issues. Please be seated.

… (*Interruptions*)

नियम 377 के अधीन मामले- सभा पटल पर रखे गए

1207 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को तुरन्त व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Need to provide details of all the expenditure incurred on treatment of patients during hospitalization under Ayushman Bharat Scheme

श्री जनार्दन मिश्रा (रीवा) : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्डधारक हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है जिसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। ये सुविधा सरकारी एवं प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में मिलती है। इसके अन्तर्गत लाभार्थी को अस्पताल में इलाज के दौरान कितना पैसा खर्च हुआ इसका कोई प्रमाण अस्पताल के द्वारा डिसचार्ज होने के बाद लाभार्थी को नहीं दिया जाता है। आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि अस्पताल में भर्ती के दौरान होने वाले सभी खर्च जाँच में कितना खर्च हुआ दवाइयों का कितना हुआ , अन्य मेडिकल उपकरण में कितना लगा आदि का खर्च विवरण अनुसार एक प्रति लाभार्थी मरीज को भी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के टाइम उपलब्ध करायी जाए। (इति)

Re: Need to expedite construction of Himmatnagar-Khedbrahma and Mahesana-Ambaji new railway line projects

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया (साबरकांठा) : गुजरात मे हिम्मतनगर से खेड़ब्रह्मा तक, वहीं मेहसाणा से आबू रोड होते हुए हदाद और अंबाजी तक नई रेलवे लाइन का कार्य प्रगति पर है जोकि भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों मे से एक है। मेरे लोकसभा साबरकांठा से रोज काफी संख्या मे श्रद्धालु माता अंबाजी के दर्शन व माउंट आबू जैसे पर्यटन स्थल घूमने जाते हैं। मै भारत सरकार व माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि मंत्रालय उपरोक्त रेलवे लाइन के कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने की कृपा करे साथ ही गुजरात के खेड़ब्रह्मा से हदाद तक 22 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन का भी निर्माण करने को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करे जिससे अंबाजी माता के श्रद्धालुओं और माउंट आबू जैसे पर्यटन स्थलों के लिए बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सके व श्रद्धालुओ की सुगमता के साथ साथ सरकार को भी रिवेन्यू प्राप्ति से लाभ हो। साथ ही, इस परियोजना से गुजरात के कई जिलों और उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक के रेल यातायात को लाभ पाए। (इति)

Re: Development of tourist circuit connecting places of tourist importance in Madhya Pradesh

श्री गणेश सिंह (सतना) : मैं सरकार का ध्यान भारतीय कला और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने की ओर दिलाना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश का संपूर्ण भू-भाग सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक मान्यताएं, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर सफारी, वाटर वाडी से परिपूर्ण होने के साथ साथ यह पवित्र नदियों का उद्गम स्थल भी है। चित्रकूट जहां भगवान श्रीराम ने वनवास काल का सर्वाधिक समय 11 वर्ष बिताया था, और अभी हाल ही में वहाँ पर यूनेस्को जियो पार्क की स्थापना करने के लिये उक्त भू-भाग का चयन किया जा रहा है, उस धार्मिक स्थल को जोड़ते हुए ओरछा, खजुराहो, पन्ना, कलिंजर किला, चित्रकूट सरभंग मुनि, सुतीक्षण मुनि, सिद्धा पहाड़, बिरसिंहपुर, सतना, रामवन, पोंड़ी खजुरी, मारकण्डेय, व्हाइट टाइगर सफारी मुकुन्दपुर, बाणसागर, बांधवगढ़, अमरकंटक, कान्हा को एक टूरिस्ट सर्किट बनाने के लिये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ।

(इति)

Re: Need to regularize unauthorized colonies in cities

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : हमारे देश में हर राज्य में जितने भी शहर है उन सभी में अनियमित कॉलोनियां होती है, उनमें से कुछ कॉलोनियां ऐसी भी है, जहां रहने वालो को मूलभूत सुविधाएं मिल रही है जैसे नगर निगम का पानी, बिजली, सीवरेज सुविधा इत्यादि लेकिन इन कॉलोनियो में रहने वाले लोग सरकार की इन सुविधाओं के बदले कोई टैक्स नहीं देते है क्योकि ये कॉलोनिया नियमित नहीं है। उदाहरण स्वरूप मेरे प्रदेश राजस्थान में ऐसी दर्जनों कॉलोनियां है जहां पर मूलभूत सुविधाएं होने के बाबजूद उनको नियमित नहीं किया गया है, यही हाल देश के विभिन्न शहरों में है। अगर इन कॉलोनियों को नियमित कर दिया जाए तो इससे उन राज्य सरकारों को अच्छा खासा राजस्व सम्पति कर, सीवरेज कर आदि के रूप में प्राप्त हो सकता है, इससे वहां के नगर निगमों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। मेरा माननीय शहरी विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि अगर मेरा सुझाव विचारणीय योग्य है तो कृपया करके सभी राज्यों को इस दिशा में निर्देश दे, ताकि वहां के नगर निगम, जो राजस्व की कमी से जूझ रहे है उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

(इति)

Re: Need to establish National Rural Bank of India

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मै सरकार का ध्यान RRBs Act,1976 के तहत स्थापित RRBs की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। तब से लेकर आज तक ग्रामीण बैंक देश के 26 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी 22,000 से अधिक शाखाओं के माध्यम से लगभग 40 करोड़ निर्धन जनता की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रही हैं। ग्रामीण बैंकों का वर्तमान में आरक्षित लाभ लगभग 40,000/- करोड़ रुपये है तथा 50,000 करोड़ रूपये net worth हैं। ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व का विभाजन इस प्रकार है- भारत सरकार- 50%, संबन्धित राज्य सरकार 15%, तथा संबन्धित प्रायोजक बैंक- 35%। आज देश मे 12 स्पान्सर बैंक हैं जो कि देश के 43 ग्रामीण बैंक को प्रायोजन करने का काम करते हैं जिसमे Bank of India तथा Bank of Baroda भी हैं जो कि राज्यों मे अल्प संख्या में हैं जैसे UP- 3, Andra Pradesh- 3, Gujrat- 2, Karnataka – 2, Haryana- 1, Mizoram- 1, Kerala- 1, मै यह मांग करता हूं कि- 40 करोड़ लोगों की सुविधा के लिए केन्द्रीय स्तर पर 'भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक' (NRBI) की स्थापना की जानी चाहिए जो कि इन सभी बैंकों को एक मुख्य अथॉरिटी के रूप मे संचालित करे, जिससे यह अलग अलग स्पान्सर बैंक के संचालन से बाहर आ सके। इन बैंकों मे व्यवसाय वृद्धि के अनुसार नई भर्ती हेतु निर्धारित नियमों के तहत अविलंम्ब नई भर्ती व प्रमोशन की प्रक्रिया तेज की जानी चाहिए तथा अस्थायी रूप से सेवा दे रहे 20,000 से अधिक स्टाफ को स्थायी किया जाना चाहिए। (इति)

Re: Need to take necessary measures for promotion of skill development among youths in the country

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : युवाओं के देश में कौशल अन्तराल एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो विकसित भारत@2047 के मार्ग में एक बड़ी बाधा दिखती है। वर्तमान में महाविद्यालयों से सीधे निकलने वाले प्रत्येक 2 में से 1 युवा आसानी से रोजगार योग्य नहीं माना गया है। इसमें कई चुनौतियाँ है जिसमें आम धारणा है कि कौशल अंतिम विकल्प है, जो प्रगति नहीं कर पाए है। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम 20 से अधिक मंत्रालयों में फैला है, जिसमें मजबूत समन्वय एवं निगरानी तंत्र का अभाव है, प्रशिक्षकों की कमी, क्षेत्रीय एवं स्थानिक स्तरों पर मांग और आपूर्ति में अंतराल, कौशल एवं उच्च शिक्षा कार्यक्रमों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच सीमित गतिशिलता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बहुत कम कवरेज, महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में गिरावट, औपचारिक शिक्षा प्रणाली में उद्यमशीलता को व्यापक स्तर पर शामिल ना करना, विविध स्तर पर मार्गदर्शन एवं वित्त की पहुंच का अभाव प्रमुख है। आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है इन विषयों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कार्य करने की तीव्र रणनीति बनाई जाए। (इति)

Re: Need to make adequate safety measures to prevent road accidents occurring due to black spots on roads in Hazaribagh Parliamentary Constituency

श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) : जैसा कि हम सभी जानते है कि राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट हर एक राज्य के लिए दुर्घटना का सबब है। हालांकि इन पर विभाग द्वारा सुरक्षा के कई सारे इंतजाम भी किए गए है। महोदय आज मैं अपने लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग के अंतर्गत कुछ विशेष राजमार्गों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर हो रही दुर्घटनाओं की तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगा। चूटूपालू घाटी में ब्लैक स्पॉट क्षेत्र का प्रमुख ब्लैक स्पॉट है। लगातार सड़क हादसे सारी रोड इंजीनियरिंग को फेल साबित कर रही है। दो-तीन वर्षों में चूटूपालू घाटी में अनेकों दुर्घटनाएं हुई है। चूटूपालू घाटी रांची-रामगढ़ मार्ग में NH –33 पर स्थित है। हजारीबाग जिले के चौपारण डिवीजन में धनुआ –बनुआ जंगल का ब्लैक स्पॉट क्षेत्र का दूसरा प्रमुख ब्लैक स्पॉट है। इसी तरह हजारीबाग के अंतर्गत यूपी मोड भी क्षेत्र का प्रमुख ब्लैक स्पॉट है। जो जान माल के जोखिम का सबब बना हुआ है। अतः आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि इन चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाए जिससे सड़क हादसों को कम किया जा सके।

(इति)

Re: Need to include 'Kuli' as the synonym of 'Kulis' in the list of Scheduled Tribes

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): I rise to draw the attention of the House towards the long-pending issue of including the Kuli community as a synonym of Kulis at Serial No. 42 in the Scheduled Tribes (STs) list of Odisha, as per the judgment of the Hon'ble Supreme Court dated 27.09.2018 in Civil Appeal No. 7362/2013. The Hon'ble Supreme Court ruled that the term "Kulis" does not represent a separate community in Odisha and that "Kuli" is the singular form of "Kulis" in the English language. The judgment stated that not including "Kuli" under "Kulis" would effectively delete a tribe from the ST list. Following this, the Government of Odisha and various authorities, including the Registrar General of India, the National Commission for Scheduled Tribes, and the Tribes Advisory Council, approved and recommended the inclusion of "Kuli" as a synonym of "Kulis." Despite these recommendations and repeated correspondence from the State Government, the Ministry of Tribal Affairs has not yet acted upon this matter. I urge the Ministry of Tribal Affairs to take immediate steps to include "Kuli" as the singular form of "Kulis" at Serial No. 42 of the ST list in Odisha, thereby implementing the Hon'ble Supreme Court's judgment in its true spirit.

(ends)

Re: Need to construct a new railway line between Ramganjmandi and Ujjain via Jhalawar

श्री रोडमल नागर (राजगढ़) : मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ अति पिछड़ा क्षेत्र था जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी से आशान्वित जिले में सम्मिलित कर मोहनपुरा ,कुंडालिया तथा रेशई-पार्वती डैम के साथ ही पार्वती -कालीसिंध-चंबल सिंचाई लिंक परियोजना से क्षेत्र में 6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित करने की दिशा में कदम बढ़ाये है। राष्ट्रीय राजमार्गो एवं रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन की सौगात देकर राजगढ़ संसदीय क्षेत्र को विकासशील क्षेत्र की दौड़ में सम्मिलित किया है। मैं सरकार से रामगंज मंडी-उज्जैन रेल लाइन वाया झालावाड़ हेतु अनुरोध करता हूं इससे संसदीय क्षेत्र राजगढ के डोंगरगांव, सोयत,सुसनेर, आगर को कम दूरी की अनेक रेल सेवाओ का लाभ मिलेगा एवं देश के विभिन्न भागो से मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा आने वाले श्रद्धालुओ हेतु सुगमता सहित राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

(इति)

Re: Need to address the problems being faced by LIC agents and policy holders

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): The policyholders and agents of the LIC are the backbone of the Indian insurance system. However, the changes by the LIC that took effect on 1 October 2024 are doing a grave injustice to crores of policyholders and agents. The rate of premiums has increased for the new products introduced. The basic sum assured has been increased to 2 lakhs, intensifying the burden on policyholders. The bonuses declared to policyholders every year are minimal. And the upper limit for the new endowment plan has been reduced from 55 to 50 years. Together, all these measures serve to hamper business prospects. The rate of Commission was fixed in 1938 when insurance laws were implemented in our country. Despite IRDA permitting insurance companies to increase commission rates for insurance agents, LIC has not followed through. Instead, the commission has been reduced. More concerning is the clawback commission clause, which allows the insurer to recover the agent's commission in case the policyholder surrenders their policy prematurely. This means that agents will be penalized for policyholders' decisions. I urge the Honourable Minister of Finance to take cognizance of these issues and take necessary measures to secure the interests of policyholders and agents associated with LIC. (ends)

Re: Operation of regular commercial flights from Neyveli Airport in Tamil Nadu

DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE): There is a need to commence commercial operation in Neyveli Airport in my Cuddalore Parliamentary Constituency under UDAN scheme. Neyveli houses the Navratna PSU Neyveli Lignite Corporation of India. Neyveli is surrounded by many towns famous for religious places, Cashew farming, Ceramic industry and with its proximity of Cuddalore Port and Cuddalore SIPCOT industrial belt. Therefore, operation of regular commercial flights from Neyveli airport is sought for. The Neyveli airport itself needs upgradation and expansion and runway needs to be extended for larger aircrafts' use. I would also like to know the steps being taken by Government to establish air connectivity between Neyveli and other Airports.

(ends)

Re: Decision of Dental Council of India for withdrawal of recognition to Alappuzha Dental College in Kerala

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): This is to bring the attention of the House the critical situation concerning Alappuzha Dental College, Kerala, whose recognition is on the verge of being withdrawn by the Dental Council of India. Admissions to the BDS course are also set to be suspended starting from the academic year 2025-26. Additionally, the Council has directed the relocation of approximately 200 students currently studying there to other dental colleges within the State. This directive has caused significant distress among the students and their families, as transferring to other colleges could adversely impact their academic progress and emotional well-being. It is important to highlight that the Government of Kerala has assured the Central Government that the construction of the required infrastructure for Alappuzha Dental College will be completed on an urgent basis to address the concerns raised by the Dental Council. In light of this assurance, it is requested that the reconsideration of the decision to withdraw recognition and to take steps such as relocating students and the continuation of affiliation for a few more months, until the completion of the new building works. (ends)

Re: Privatization of power sector in Rajasthan

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा) : सरकार देश के विद्युत उत्पादन का निजीकरण करने की ओर बढ़ रही है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम (RVUNL) और उसकी परिसंपत्तियों के निजीकरण का है। निगम के कर्मचारी कई महीनों से आंदोलनरत हैं और राज्य की जनता को भी इससे गंभीर नुकसान हो सकता है। बिजली क्षेत्र किसी भी राज्य की आधारभूत संरचना का अभिन्न हिस्सा है। RVUNL की कोटा, सूरतगढ़, और छबड़ा जैसी इकाइयों ने सस्ती और सतत बिजली आपूर्ति में अहम योगदान दिया है। केंद्र सरकार की नीतियों और कोयला आपूर्ति में विफलता ने राज्य को महंगा आयातित कोयला खरीदने पर मजबूर किया, जिससे बिजली दरें बढ़ीं। निजीकरण के बाद ये इकाइयाँ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) के अधीन होंगी, जिससे राज्य का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और जनता महंगी बिजली के लिए मजबूर होगी। निजीकरण से लगभग 4000 कर्मचरियों और 1 लाख से अधिक लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। इस प्रक्रिया की गोपनीयता ने कर्मचारियों में अविश्वास पैदा किया है। इन निजीकरण प्रयासों को तुरंत रोका जाए और बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए पारदर्शी और जनहितैषी नीतियाँ अपनाई जाएँ। राज्य के नियंत्रण में रहकर बिजली उत्पादन और वितरण का संचालन जनता के हित में होगा।

(इति)

Re: Determination of creamy layer in respect of Class III and IV OBC employees

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : मैं आपके माध्यम से ओबीसी आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित गंभीर मुद्दे उठाना चाहता हूं:- 2014 से यूपीएससी द्वारा चयनित ओबीसी युवाओं को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। 1993 के आदेश के अनुसार वेतन और कृषि आय को क्रीमी लेयर निर्धारण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार द्वारा क्रीमी लेयर में वेतन जोड़ने की वजह से ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्तियों में बाधा उत्पन्न हो रही है। 2004 में गलत व्याख्या के कारण वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। दिल्ली, मद्रास और केरल उच्च न्यायालयों ने डीओपीटी की व्याख्या को भेदभावपूर्ण माना है। यह स्पष्ट है कि सरकार ने इस मुद्दे को जटिल बना दिया है। वर्तमान सरकार की नीतियां ओबीसी समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण हैं, जिससे ओबीसी समुदाय सरकारी नौकरियों से वंचित हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने 1993 के आदेश में संशोधन किया है? यदि हाँ, तो कब और क्यों? यदि बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों और विद्यालयों के प्रमाणपत्र 2004 से पहले वैध थे, तो अब क्यों नहीं? क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए ग्रुप सी/डी प्रमाणपत्रों को मान्यता देने में हिचकिचा रही है?

(इति)

Re: Need to set up a Krishi Vigyan Kendra at Chinnamottur village in Tiruvannamalai Parliamentary Constituency

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Tripattur, coming under my Parliamentary Constituency Tiruvannamalai in Tamil Nadu is known for agriculture. The farmers here rely only on traditional knowledge, without any scientific or institutional support. Hence, the full potential of this area could not be harnessed. There is a suitable site at the Chinnamottur village in Jolarpettai block, Tripattur where a Krishi Vigyan Kendra could be established. This village is near to district headquarter, Tripattur and 3.5 Kms from NH - 48 (Chennai - Bengaluru). Further, 33.37 acres of land is also available with varied terrains, which would be suitable for different research purposes of the proposed KVK Centre. Therefore, I request you to kindly consider to setting up of a KVK Centre at Chinnamottur village, Tripattur in Tamil Nadu for the betterment of the farmers of this area.

(ends)

Re: Revival of MTNL and BSNL

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): I would like to bring to the attention of the House the issue of revival of MTNL and BSNL. Despite possessing valuable lands, Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM)'s inability to effectively monetize assets of MTNL and BSNL has hindered the revival of MTNL and BSNL. The installation of a mobile core unit at Kopri, Thane, instead of core Mumbai city, due to rent issues between MTNL and BSNL, has caused delays and inefficiencies. The slow pace of installing mobile towers in Mumbai city has affected connectivity and services. I request a thorough inquiry by the Comptroller and Auditor General (CAG) into the utilization of government funds allocated to BSNL and MTNL and steps currently being taken by the Government to address these concerns thereby ensuring the successful revival of these organizations. (ends)

Re: Incidents of death due to malaria in Bodoland Territorial region

SHRI JOYANTA BASUMATARY (KOKRAJHAR): I would like to draw the immediate kind attention of Union Government on serious health issues facing by my Bodoland Territorial Region. The rise in malaria cases has raised serious concerns about public health in the region. Malaria cases in Kokrajhar district rapidly increased since October, with 2,096 cases recorded by November 25, 2024 and this is a significant increase from 256 cases reported earlier in year 2023. Five deaths, including that of a 4-year-old girl, have been confirmed in last few days. In response, the Bodoland Territorial Council (BTC) Government, led by CEM Pramod Boro, has taken intensified efforts to address the crisis. BTC government has visited the most affected areas, including Lungchung, to assess the situation and engage with local residents. But we need the support from Union Government to Tackle this situation. I demand from Union Government to take serious note on this health issue and immediately assign a team of senior specialists to control this malaria spread in the Region and also take measures such as establishing new health camps in the Region to provide timely healthcare and treatment to the Bodo people. (ends)

Re: Problems faced by fishermen of Daman and Diu Parliamentary Constituency

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : मेरा संसदीय क्षेत्र दमण एवं दीव समुद्र किनारे स्थित है, और प्रदेश के ज्यादातर लोगों की आजीविका मछलीमारी के काम धंधे से ही चलती है और सरकार भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी विविध योजना के जरिए मछलीमारी के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। हमारे प्रदेश में मछलीमारी के व्यवसाय को प्रशासन पर्याप्त सहयोग प्रदान नही कर रहा है। दमण में मछुआरे पुर्तगालियों के समय से नावो को पार्क करते आये है, दिनांक 22.11.2024 को मछुआरों की सारी नावों को इस स्थान से हटाया गया था। नावो को हटाने से पूर्व कोई नोटिस तक नहीं दिया गया और जब नावों को खाली करवा रहे थे तो अधिकारियों से मैने नावो को हटाने का नोटिस या आदेश की जानकारी मांगी तो वह कह रहे थे कि यह सरकारी जमीन है। कौन से प्रदेश में मछलीमारी करने वाली बौटे सरकारी जमीन पर नही रखी जाती है? हम केंद्र सरकार से निवेदन करते है कि मछुआरो के हक और अधिकार की रक्षा करे। (इति)

… (<u>व्यवधान</u>)

लोक महत्व के अविलम्बनीय मुद्दे

1208 बजे

माननीय सभापति : कल शून्य काल में निशिकान्त दुबे जी के कुछ इश्यूज़ रह गए थे।

निशिकान्त जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : हैबी ईडन जी, आपका नोटिस मिला है और यह अभी विचाराधीन है। आप थोड़ा-सा रुकिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : निशिकान्त दुबे जी, आप शुरू कीजिए।

… (व्यवधान)

1208 hours

(At this stage, Sushri S. Jothimani *and some other hon. Members came and stood near the Table)*

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, 'कांग्रेस का हाथ, सोरोस के साथ।'… (व्यवधान)

सभापति महोदय, ओसीसीआरपी के साथ, ओपेन सोसायटी फाउंडेशन के साथ कांग्रेस के रिलेशन्स हैं।… (व्यवधान) ओसीसीआरपी को सारा पैसा …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) गवर्नमेंट और जॉर्ज सोरोस दे रहे हैं।… (व्यवधान)

सर, मेरे दस क्वैश्चंस थे। दस में से पहला क्वैश्चन है कि ओपेन सोसायटी फाउंडेशन के सलिल शेट्टी के साथ 'भारत जोड़ो यात्रा' में राहुल गांधी गए।… (व्यवधान) क्या उन्होंने सोरोस से पैसे लिए?… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, प्लीज़, आप लोग बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, मेरा दूसरा सवाल है कि ओपेन सोसायटी फाउंडेशन ने अभी तक 1,000 लोगों को स्कॉलरशिप्स दी है।… (व्यवधान) उन 1,000 बच्चों में कांग्रेस के कितने बच्चे हैं?… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2024 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1209 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 9 दिसम्बर 2024 / 18 अग्रहायण 1946 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।